रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012020-215807 CG-DL-E-30012020-215807

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417] No. 417] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2020/माघ 9, 1941 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2020/MAGHA 9, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2020

का.आ. 451(अ).—जबिक, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गितविधि निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 02.8.2019 को जारी आदेश सं.पीडी-12002/22/2019- कोफेपोसा में यह निदेश दिया गया था कि श्री धर्मग्न अरविंदकुमार त्रिवेदी, सुपुत्र श्री अरविंदकुमार उमाकांत त्रिवेदी, निवासी (i) ए-3/2, कलारथ अपार्टमेंट, सीमा हॉल के सामने, 100 फीट रोड (आनन्द नगर रोड), सैटेलाइट, अहमदाबाद-380015; (ii) 48 सेन्टोस्सा नीमलैंड, नर्मदा कैनाल के पास, अदलाज, गांधीनगर, गुजरात; और (iii) शोरूम नंबर 103 पर कार्यालय पता, संग्रीला आर्केड, श्यामल क्रॉस रोड के पास, 100 फीट रोड, सैटेलाइट, अहमदाबाद को हिरासत में लिया जाए और सेन्ट्रल जेल, साबरमती, अहमदाबाद में रखा जाए तािक भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी को बढावा देने और तस्करी के माल का परिवहन करने या छुपाने या रखने से रोका जा सके।

2. जबिक केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का पालन न किया जा सके।

583 GI/2020 (1)

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, शाहीबाग, अहमदाबाद-380004 या पुलिस महानिदेशक, गुजरात सरकार, गांधीनगर के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. पीडी-12002/22/2019–कोफेपोसा] रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA WING)

ORDER

New Delhi, the 29th January, 2020

- **S.O. 451(E).**—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under subsection (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12002/22/2019-COFEPOSA dated 02.8.2019 under the said sub-section directing that Shri Dharmagna Arvindkumar Trivedi, S/o Shri Arvindkumar Umakant Trivedi, R/o (i) A-3/2, Kalarath Apartments, Opp. Seema Hall, 100 Feet Road (Anand Nagar Road), Satellite, Ahmedabad -380015; (ii) 48 Sentossa Neemland, Near Narmada Canal, Adalaj, Gandhinagar, Gujarat; and (iii) Office address at Showroom No. 103, Shangrila Arcade, Near Shyamal Cross Road, 100 ft Road, Satellite, Ahmedabad be detained and kept in Central Jail, Sabarmati, Ahmedabad with a view to prevent him from smuggling goods; abetting the smuggling of goods; and engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods, in future.
- 2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the said Order cannot be executed.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Shahibaug, Ahmedabad-380004 or Director General of Police, Government of Gujarat, Gandhinagar within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. PD-12002/22/2019-COFEPOSA]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.